उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No. H87863 /सी-2/NGT-65/23

दिनाँक
Date 27.1.23

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of response of U.P. Pollution Control Board pursuant to the order dated 03.01.2023 passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 193/2022 Rajjan Pandey Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 03.01.2023 in the matter of O.A. No. 193/2022 Rajjan Pandey Vs State of Uttar Pradesh & Ors, the response received form the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Banda is being filed herewith, after approval from competent authority.

It is requested that the aforesaid responce of U.P. Pollution Control Board may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajendra Singh)
Chief Environmental Officer
Circle-2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Uttar Pradesh Pollution Control Board response in compliance of order dated 03.01.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of O.A. No.- 193/2022, Rajjan Pandey Versus State of Uttar Pradesh and others.

1. That Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed an order dated 03.01.2023 in the matter of O.A. No.- 193/2022, Rajjan Pandey Versus State of Uttar Pradesh and others. The relevant part of the order is as follows :

".....8. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) UPPCB (3) CPCB, (4) Department of Mines and Geology, Government of Uttar Pradesh, (5) Department of Environment, State of Uttar Pradesh, (6) Uttar Pradesh Public Works Department, (7) Ministry of Mines already impleaded as respondents no. 1 to 7 as well as (8) District Magistrate, Banda, (9) Smt Jasmit Kaur Malhotra W/o Shri Rasmeet Singh Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 1), (10) Smt Jasmit Kaur Malhotra W/o Shri. Rasmeet Singh Malhotra, Gata No. 218 (Khand No. 2), (11) Smt Amrit Kaur W/o Shri Ajit Singh Malhotra, Gata No. 587 व 588 (Khand No. 8), (12) M/s Jai Maa Sharda Traders- Shri Ram Milan S/o Shri Ramgopal, Gata No. 587 (Khand No. 1) , (13) Shri Mujibuddin Siddiqui S/o Shri Jamiruddin Siddiqui, Gata No. 501, (14) M/s S R Innovation L L P Pro- Shri Surrender Puniya, Gata No. 587 (Khand No. 07), (15) Smt Amrit Kaur W/o Shri Ajit Singh Malhotra, Gata No. 587 (Khand No. 05), (16) M/s S S Granite Partner Shri Atique Ahmed, Gata No. 309, (17) M/s S R Innovation L L P Pro-Shri Surrender Puniya, Gata No. 587 (Khand No. 02) and (18) M/s Harshit Enterprises Partner Shri Harshit Singh, Gata No. 45, who stand impleaded as respondents No. 8 to 18. The Registry is directed to make appropriate amendments in the memo of parties to the application. Respondent no. 2 and 4 is already appearing before this Tribunal through counsel. Notices be issued to respondents no. 1, 3, 5 to 18.

9. Notice be served on respondents no. 9 to 18 through the District Magistrate, Banda and for this purpose notices issued to respondents no. 9 to 18 be sent to the District Magistrate, Banda by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

10. Reply/response on behalf of the respondents be filed within 15 days by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF……."

2. That it is submitted that with reference to the complaint by applicant Shri Rajjan Pandey, Hon'ble National Green Tribunal passed an order on 13.07.2022. In compliance of the order, joint committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal has submitted its report 15.12.2022.
3. That it is submitted that as per the report, out of 10 mining lease holders, only 08 mining lease holders had obtained valid CTO and the CTO applications of 02 mining lease holder was under process, but at present all 10 mining lease holders have obtained CTO.
4. That it is submitted that the lease allotment was done only on the basis of Environmental Clearance and none of the mining lease holders had obtained the CTO under water & air Acts before starting the operation of mining. UPPCB has issued Show Cause Notices vide letter dated 23.01.2023 for imposing the Environmental Compensation for the period when these mining leases had been operating without CTO against all 10 mining lease holders. The copies of show cause notices are attached herewith and marked as **Annexure No.-1.**

(Rajendra Prasad)
Regional Officer
Banda

Annexure No.-1

74

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H 87664 / सी-2/N.G.T.16-65/O.A.No-193/कार0 नोटिस/23 दिनांक Date 23-1-23

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा,
(गाटा सं0–587, 588 (खण्ड नं0–08), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा)
द्वारा श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा,
नि0– नेहरू वार्ड, तहसील –पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0।

यह कि उद्योग मैसर्स श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–587, 588 (खण्ड नं0–08), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, नि0–नेहरू वार्ड, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0 जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 22.10.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल 525 दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 525 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है:–

".......The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 22.10.2022 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 525 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 52,50,000/– (रू0 बावन लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–587, 588 (खण्ड नं0–08), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, नि0–नेहरू वार्ड, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 52,50,000/– (रू0 बावन लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 52,50,000/– (रू0 बावन लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

.....2....

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H87660 /सी-2/N.G.T.No-65/O.A.No-193/22/का०ज्ञा०नोटिस/23 दिनॉक Date 23-1-23

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा,
(गाटा सं0–218 (खण्ड नं0–02), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा)
द्वारा श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा,
नि0– नेहरू वार्ड, नजदीक अल्का टाकीज, तहसील –पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0।

यह कि उद्योग मैसर्स श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–218 (खण्ड नं0–02), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, नि0--नेहरू वार्ड, नजदीक अल्का टाकीज, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0 जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 08.01.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल 813 दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 812 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है:–

"........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 08.01.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 813 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 81,30,000/– (रू0 इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–218 (खण्ड नं0–02), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, नि0–नेहरू वार्ड, नजदीक अल्का टाकीज, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 81,30,000/– (रू0 इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 81,30,000/– (रू0 इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

.....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No 1487659 /सी-2/N.G.T. No-65/O.A.No-193/का०ब०नोटिस/23 दिनाँक Date 23-1-23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा,
(गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–05), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा)
द्वारा श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा,
नि0– नेहरू वार्ड, तहसील –पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0।

यह कि उद्योग मैसर्स श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–05), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, नि0–नेहरू वार्ड, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0 जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 15.01.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल 440 दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 440 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है:–

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 15.01.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 440 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 44,00,000/– (रू0 चौंतालीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–05), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अजीत सिंह मल्होत्रा, नि0–नेहरू वार्ड, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 44,00,000/– (रू0 चौंतालीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 44,00,000/– (रू0 चौंतालीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H87658 /सी-2/N.G.T. No- 65/O.A. No- 193/का०ब०नोटिस/23 दिनॉक Date 23-1-23

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स श्री राममिलन पुत्र श्री रामगोपाल,
(गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–01), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा)
द्वारा श्री राममिलन पुत्र श्री रामगोपाल,
निवासी–गोण्डा मोड, थाना कर्वी, जनपद–चित्रकूट।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री राममिलन पुत्र श्री रामगोपाल, (गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–01), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्री राममिलन पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी–गोण्डा मोड, थाना कर्वी, जनपद–चित्रकूट जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 09.11.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल 507 दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तदनुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 440 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित हैः–

"........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 09.11.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 507 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 50,70,000/– (रू0 पचास लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्री राममिलन पुत्र श्री रामगोपाल, (गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–01), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्री राममिलन पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी–गोण्डा मोड, थाना कर्वी, जनपद–चित्रकूट** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 50,70,000/– (रू0 पचास लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 50,70,000/– (रू0 पचास लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

82

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H 87662/सी-2/N.G.T.No-65/O.A.No-193/का0बता0नोटिस/23 दिनाँक Date 23-1-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री जीमरूद्दीन सिद्दीकी,
(गाटा सं0–501, क्षेत्रफल–1.21 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा)
द्वारा श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री जीमरूद्दीन सिद्दीकी,
निवासी–मो0 खांईपार, थाना–कोतवाल नगर, जनपद–बॉदा।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री जीमरूद्दीन सिद्दीकी, (गाटा सं0–501, क्षेत्रफल–1.21 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री जीमरूद्दीन सिद्दीकी, निवासी–मो0 खांईपार, थाना–कोतवाल नगर, जनपद–बॉदा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 26.11.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल 490 दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 490 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है:–

"........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 26.11.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 490 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 49,00,000/– (रू0 उन्नचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री जीमरूद्दीन सिद्दीकी, (गाटा सं0–501, क्षेत्रफल–1.21 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्री मुजीबुद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री जीमरूद्दीन सिद्दीकी, निवासी–मो0 खांईपार, थाना–कोतवाल नगर, जनपद–बॉदा** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 49,00,000/– (रू0 उन्नचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 49,00,000/– (रू0 उन्नचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com
Stone closure order

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H87661 /सी-2/N.G.T. No.-65/O.A. No-193/22/का.ब. नोटिस/23 दिनॉक Date 23-1-23

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा,
(गाटा सं0–218 (खण्ड नं0–01), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर , ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा)
द्वारा श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा,
नि0– नेहरू वार्ड, नजदीक अल्का टाकीज, तहसील –पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0।

यह कि उद्योग मैसर्स श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–218 (खण्ड नं0–01), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, नि0–नेहरू वार्ड, नजदीक अल्का टाकीज, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0 जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 08.01.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल 813 दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 812 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित हैः–

"........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 08.01.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 813 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 81,30,000/– (रू0 इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, (गाटा सं0–218 (खण्ड नं0–01), क्षेत्रफल–2.0 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा पत्नी श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, नि0–नेहरू वार्ड, नजदीक अल्का टाकीज, तहसील–पिपरिया, जनपद–होशंगाबाद, म0प्र0** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 81,30,000/– (रू0 इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 81,30,000/– (रू0 इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H 87665 /सी-2/N.G.T. No-65/O.A.No-193/कारण नोटिस/23 दिनांक Date 23-1-23

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सुएब अहमद,
(गाटा सं0–309 क्षेत्रफल–3.25 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा)
द्वारा श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सुएब अहमद,
निवासी–विवेक नगर, कबरई, तहसील व जनपद –महोबा।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सुएब अहमद, (गाटा सं0–309 क्षेत्रफल–3.25 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सुएब अहमद, नि0–विवेक नगर, कबरई, तहसील व जनपद –महोबा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 12.01.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल 434 दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 434 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है:–

"........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 12.01.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 434 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 43,40,000/– (रू0 तैंतालिस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सुएब अहमद, (गाटा सं0–309 क्षेत्रफल–3.25 हैक्टेअर, ग्राम–नहरी, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा) द्वारा श्री अतीक अहमद पुत्र श्री सुएब अहमद, नि0–विवेक नगर, कबरई, तहसील व जनपद –महोबा** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 43,40,000/– (रू0 तैंतालिस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 43,40,000/– (रू0 तैंतालिस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H87666 /सी-2/N.G.T. No-65/O.A-No-193/क्षे0 का0/ई(T)/23 दिनांक Date 23-1-23

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया,
(मैसर्स एस0आर0 इनोवेशन एल.एल.पी. गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–07), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर)
द्वारा श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया,
निवासी–1051, सेक्टर–17बी, इफको कालोनी, जनपद–गुडगांव, हरियाणा।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, (मैसर्स एस0आर0 इनोवेशन एल.एल.पी. गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–07), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर) द्वारा द्वारा श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, निवासी–1051, सेक्टर–17वी, इफको कालोनी, जनपद–गुडगांव, हरियाणा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 18.12.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल **468** दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तदनुसार खनन पट्टा धारक द्वारा **468** दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है:–

"........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 18.12.2020 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 468 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 46,80,000/– (रू0 छियालिस लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, (मैसर्स एस0आर0 इनोवेशन एल.एल.पी. गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–07), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर)** द्वारा द्वारा **श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, निवासी–1051, सेक्टर–17बी, इफको कालोनी, जनपद–गुडगांव, हरियाणा** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 46,80,000/– (रू0 छियालिस लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 46,80,000/– (रू0 छियालिस लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

.....2...

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com
Stone closure order

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H87667 /सी-2/N.G.T. No-65/O.A.No-193/का०व०नोटिस/23 दिनाँक Date 23-1-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स श्री हर्षित सिंह पुत्र श्री मान सिंह,
(मैसर्स हर्षित इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0–45 क्षेत्रफल–3.68 हैक्टेअर),
द्वारा श्री हर्षित सिंह पुत्र श्री मान सिंह,
निवासी–मो0 कालूकआं, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बॉदा।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री हर्षित सिंह पुत्र श्री मान सिंह, (मैसर्स हर्षित इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0–45 क्षेत्रफल–3.68 हैक्टेअर) द्वारा श्री हर्षित सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी–मो0 कालूकआं, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बॉदा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 08.01.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल **447** दिवस में खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है। तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा **447** दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है:–

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 08.01.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 447 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 44,70,000/– (रू0 चौंतालिस लाख 70 हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्री हर्षित सिंह पुत्र श्री मान सिंह, (मैसर्स हर्षित इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0–45 क्षेत्रफल–3.68 हैक्टेअर) द्वारा श्री हर्षित सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी–मो0 कालूकआं, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बॉदा** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 44,70,000/– (रू0 चौंतालिस लाख 70 हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 44,70,000/– (रू0 चौंतालिस लाख 70 हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No H87663 /सी-2/N.G.T. No-65/O.A.No-193/का०बता०नोटिस/23 दिनॉक / Date 23-1-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया,
(मैसर्स एस0आर0 इनोवेशन एल.एल.पी. गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–02), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर)
द्वारा श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया,
निवासी–1051, सेक्टर–17बी, इफको कालोनी, जनपद–गुडगांव, हरियाणा।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, (मैसर्स एस0आर0 इनोवेशन एल.एल.पी. गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–02), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर) द्वारा द्वारा श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, निवासी–1051, सेक्टर–17बी, इफको कालोनी, जनपद–गुडगांव, हरियाणा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, गिट्टी/पत्थर के खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.01.2023 के अनुसार खान अधिकारी, बॉदा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 05.04.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 तक के मध्य कुल **360** दिवस में **खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य किया गया है। उक्त अवधि में खनन पट्टा धारक द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किया गया है।** तद्नुसार खनन पट्टा धारक द्वारा 360 दिवस में बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किये जाने का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा धारक के विरूद्ध पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित हैः–

"........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 11.01.2023 के द्वारा आपके इकाई पर खनन पट्टा डीड के निष्पादन तिथि दिनांक 05.04.2021 से कमेटी की प्रथम जांच आख्या दिनांक 30.03.2022 के मध्य कुल 360 दिवस में राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने हेतु रू0 36,00,000/– (रू0 छत्तीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, (मैसर्स एस0आर0 इनोवेशन एल.एल.पी. गाटा सं0–587 (खण्ड नं0–02), क्षेत्रफल–0.8 हैक्टेअर) द्वारा द्वारा श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धरमपाल पुनिया, निवासी–1051, सेक्टर–17बी, इफको कालोनी, जनपद–गुडगांव, हरियाणा** पर राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये जाने के कारण रू0 36,00,000/– (रू0 छत्तीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 36,00,000/– (रू0 छत्तीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुएं, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त—2)